रजिस्ट्रेशन शुल्क नि:शुल्क

निवाई। डॉ. केएन मोदी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्राओं के प्रवेश को प्रोत्साहित करने हेतु सभी पाठ्यक्रमों में छात्राओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के चेयरमैन प्रो. डॉ. देवेंद्रकुमार मोदी ने बताया कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को लेकर यह निर्णय लिया है। पीआरओ डॉ. तनुज सैंगर ने बताया कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक से अधिक छात्राओं तक पहुँचाना है। एडमिशन सेल प्रभारी प्रमोद कुंतल ने बताया की संस्थान में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट्स, फार्मेसी, लॉ एवं अन्य विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर व शोध स्तर तक के पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिससे छात्राओं को बेहतर करियर के अवसर प्राप्त होंगे।

गुजरात न्यायिक सेवा में चयन होने पर जिला अभिभाषक संघ ने आरुषि गुप्ता का किया सम्मान

कोटपूतली, जिला अभिभाषक संघ कोटपूतली ने आरुषि गुप्ता के गुजरात न्यायिक सेवा में चयन होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीष रवि शर्मा ने कहा कि न्यायिक सेवा में चयन होना एक तपस्या का कार्य है तथा इसमें स्वंय के साथ ही परिवार की मेहनत भी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। न्यायिक सेवा का कार्य कोई व्यापार या धनअर्जन का माध्यम मात्र नहीं है बल्कि कानून व न्याय व्यवस्था को अनवरत रूप से चलाये रखने तथा पीड़ितों को न्याय मिले इस हेतु एक पवित्र कार्य है। उन्होंने जिला अभिभाषक संघ के युवा अधिवक्ताओं से भी अथक मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिये प्रेरित करते हुये कहा कि न्यायिक सेवा पवित्र कार्य है। विशिष्ठ अतिथि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिम्पल जण्डेल ने कहा कि वर्तमान में न्यायिक सेवा में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1998
चूंकि प्रार्थी श्री RAM KISHOR, RIICO BAYANA INDUSTRIAL AREA BAYANA DISTT BHARATPUR RAJASTHAAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास आर के सेहत सारथी केयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर PLOT NO.5 SUBHASH NAGAR SHASTRI NAGAR JAIPUR RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 01.06.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

नाम परिवर्तन

मैं, शिनू देवी शर्मा, पत्नी दीपक कुमार जांगिड, निवासी न्यू गार्ड कॉलोनी, फुलेरा, ने अपना नाम बदलकर काजल रख लिया है। अब से मैं सभी कार्यों में काजल के नाम से जानी जाऊंगी।

मैने मेरा नाम कपिल बूचरा से बदलकर कपिल जैन रख लिया है। भविष्य में मुझे कपिल जैन के नाम से जाना पहचाना जावे। निवासी- 708, विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर- 302019

मैं बरशिले ज्ञानदेव शंकर आर्मी नंबर 15224134N नायक (DS) बरशिले राहुल ज्ञानदेव निवासी स्थान कोठावले वस्ती, जावला, तहसील पारनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र पिन कोड 414306 मेरे बेटे के सर्विस रिकॉर्ड में नाम बरशिले ज्ञानदेव शंकर गलत दर्ज मेरे डॉक्यूमेंट और आधार और पैन कार्ड में मेरा सही नाम ज्ञानदेव शंकर बरशिले है।

मैं बरशिले शालन ज्ञानदेव आर्मी नंबर 15224134N नायक (DS) बरशिले राहुल ज्ञानदेव निवासी स्थान कोठावले वस्ती, जावला, तहसील पारनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र पिन कोड 414306 मेरे बेटे के सर्विस रिकॉर्ड में नाम बरशिले शालन ज्ञानदेव बरशिले ज्ञानदेव शंकर व जन्मलतिथि 10.05.1972 गलत दर्ज है मेरे डॉक्यूमेंट और आधार और पैन कार्ड में मेरा सही नाम शालुबाई ज्ञानदेव बरशिले व सही जन्मतिथी 01.06.1972 है।

मैने अपना नाम महेश सिंह से बदलकर महेश सिंह शेखावत पुत्र श्री इंदर सिंह शेखावत रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। निवासी- 19-ए, गुलाब विहार, 200 फीट, बाईपास, गांधीपथ (पश्चिम) लालरपुरा रोड, वैशाली नगर, जयपुर

I army no JC- 483282N NB Sub Banay Singh Gurjar resident of vpo chandangaon tehsil shri mahaveer ji district karauli that i want to change name of my spouse KUMARI MITHLESH To MITHLESH vide affidavit dated 14/3/26 before sub divisional magistrate hindaun karauli

i army no 1268611N Ex Hav mal singh resident of 58 green park- B nangal jaisha bohara jhotwara jaipur that I want to change name of my spouse from RATAN KAUR To RATAN KANWAR vide affidavit dated 24 mar2026 before sub divisional magistrate jaipur

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

गैस एजेंसी सील होते ही भुगतान, तुरंत खुली सील

भरतपुर (निस)। बकाया नगरीय विकास कर की वसूली को लेकर नगर निगम इन दिनों सख्त रुख अपनाए हुए है, जिसका ताजा उदाहरण सुपर बाजार स्थित हेतराम गैस एजेंसी पर देखने को मिला। दरअसल, हेतराम गैस एजेंसी का संचालन पूर्व में आगरा-जयपुर रोड स्थित सीजेआई स्कूल के पास किया जा रहा था, लेकिन वहां का बकाया 29,87,910 रुपये का यूडी टैक्स लंबे समय से बकाया चला रहा था।

निगम प्रशासन द्वारा बकाया राशि जमा कराने के लिए एजेंसी संचालक को बार-बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन भुगतान न होने और एजेंसी के अपना स्थान बदलकर सुपर बाजार में शिफ्ट हो जाने के बाद निगम के अधिकारियों ने कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। गुरुवार को नगर निगम की टीम दलबल के साथ सुपर बाजार पहुंची और बकाया टैक्स की वसूली के लिए एजेंसी परिसर को सीज करते हुए वहां नोटिस चस्पा कर दिया। सीलिंग की

बकाया नगरीय विकास कर की वसूली को लेकर नगर निगम भरतपुर सख्ती अपनाये हुए है।

इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और एजेंसी का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। हालांकि, निगम की इस सख्ती का असर तुरंत देखने को मिला और सीजर की कार्रवाई के कुछ ही समय बाद एजेंसी मालिक ने बकाया टैक्स की पूरी राशि निगम कोष में जमा करवा दी। भारी-भरकम राशि का भुगतान होने के तुरंत बाद नगर निगम प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए सील खोल दी और एजेंसी को दोबारा सुचारू रूप से संचालित करने की अनुमति दे दी।

शिविर में ग्रामीणों का निशुल्क परामर्श कर इलाज

पावटा। पावटा कस्बे से 8 किलोमीटर दूर स्थित टोरडा गांव में बाबा भरतदास जी का आश्रममेहर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा भरतदासजी महाराज आश्रम सेवा समिति व समस्त ग्राम जनता के सहयोग से बाबा भरतदास महाराज व बाबा गोपाल दास महाराज की असीम कृपा से रामनवमी पर बड़ी धूमधाम से मेले का आयोजन किया गया। वही श्रीराम नवमी के अवसर पर श्री भरतदास बगीची आश्रम टोरडा रामपुरा पर विशाल मेले में जन सैलाब के रूप में भक्तों का तांता लगा रहा। रंगबिरंगी पौशाक में महिला, बच्चे किशोर किशोरियां तथा प्रौढ़ और वयोवृद्ध आसपास के सभी भक्तों ने श्री सीताराम जी के भव्य और दिव्य दर्शन किए। मंदिर महंत श्री मंगलदास जी महाराज के सानिध्य में सर्वप्रथम वर्ष प्रतिपदा के दिन नवरात्र घटस्थापना, श्रीराम नाम संकीर्तन, वर्षप्रतिपदा उत्सव, श्री राम दरबार के राजसी श्रृंगार सहित छप्पन भोग की झांकी के दर्शन कर लोक कृतार्थ हुआ। लोक परंपराओं के प्रदर्शन में महाशयों का गायन, डफ व चंग वादन तथा लोकनृत्य आदि की प्रस्तुतियां ने जनजीवन का मन मोह लिया। आश्रम महंत श्री मंगलदास जी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले के पावन अवसर पर मेले के दौरान विभिन्न संस्थाओं जेएनयू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा चिकित्सा परामर्श, जांच व दवा वितरण, जीएम गोयल फाउंडेशन पावटा द्वारा विभिन्न रोगों की जांच व उपचार करते हुए जीएम गोयल फाउंडेशन के पदाधिकारी दिलीप गोयल और साहुल गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जहां बड़ी संख्या में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञों द्वारा ग्रामीणों का निशुल्क परामर्श कर इलाज किया गया। वही वैशाली हॉस्पिटल, जयपुर के विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. दिनेश खोड़ा की सेवाएं, मिश्री देवी हॉस्पिटल, बहरोड द्वारा चयनित मरीजों का नि:शुल्क ऑपरेशन सहित निशुल्क चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। टोरडा बगीची में रामनवमी पर भरने वाले मेले में राजस्थान के अलावा कई अन्य प्रदेशों से हजारोंभक्त आये।

ज्ञापन सौंपा

कोटपूतली। कस्बे के आदर्श नगर में टेलीफोन एक्सचेंज रोड़ एवं डाबला रोड़ पर नालों की सफाई एवं जल निकासी समेत ठाम सुदरपुरा ढ्राढ्रा से मीरापुर फॉर्म जा रही एमडीआर रोड़ से नाड़ा वाले हनुमान मंदिर तक रोड़ एवं श्मषान भूमि की चार दिवारी निर्माण के लिये विधायक निधि से राशि स्वीकृत कराने आदि।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1914
चूंकि प्रार्थी श्री RAJENDRA CHOUDHARY, B-195, GANGA SAGAR COLONY, NEAR LAXMI NARAYAN MANDIR, VAISHALI NAGAR, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री पूराराम मेमोरियल संस्थान VILL PANCHYAWALA, VAISHALI NAGAR, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 02.06.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

भरतपुर में रामनवमी पर भव्य शोभायात्रा

भरतपुर (निस)। रामनवमी के पावन अवसर पर भरतपुर शहर में श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने शिरकत की। शोभायात्रा को यातायात चौराहे से विधिवत आरती कर रवाना किया गया। इस दौरान मंत्री बेढ़म ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्वभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि भरतपुर में हर वर्ष की तरह इस बार भी सभी वर्गों की सहभागिता से भव्य शोभायात्रा निकाली जा रही है, जो यातायात चौराहे से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए कुम्हेर गेट तक पहुंची। गृह राज्यमंत्री ने कहा कि रामनवमी के अवसर पर आमजन में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है तथा जगह-जगह श्रद्धालुओं द्वारा शोभायात्रा का स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश की सरकारें सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद देश-विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे है, जिससे भारतीय संस्कृति का वैश्विक स्तर पर गौरव बढ़ा है। पूरे बाजार को भगवा ध्वज, तोरणद्वार और सजावट से सुसज्जित किया गया था। शोभायात्रा में शामिल महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग भगवा दुपट्टा और साफा पहने हुए थे तथा डीजे पर बज रहे भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। जय श्रीराम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। शोभायात्रा में 70 से अधिक आकर्षक झांकियां भी निकाली गई, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। एसपी और डीएसपी सहित सभी थानों के अधिकारी, आरएसी जवान और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी पूरे आयोजन पर नजर बनाए हुए थे।

> ■ मंत्री बेढ़म ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्वभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है

27 मार्च को जयपुर धरने में शामिल होने का आव्हान

डीग भरतपुर (निस)। जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में लाला की धर्मशाला कुंडा के पास कामा रोड डीग में संपन्न हुई। जिसमें प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायती राज एवं नगर निकाय के चुनाव टालकर लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक परंपराओं पर कुठाराघात किया जा रहा है।

इस लोकतंत्र विरोधी रवैया के

डीग भरतपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में संपन्न हुई।

> ■ डीग में कांग्रेस की मासिक बैठक 1 अप्रैल से 'संगठन बचाओ-लोकतंत्र बचाओ' अभियान

जिसके तहत भाजपा सरकार द्वारा पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं में दमनकारी नीति अपनाते हुए प्रशासक नियुक्त किए गए के विरोध में तथा आम जनता को अवगत कराने हेतु राजस्थान प्रदेश कमेटी द्वारा संगठन बचाओ-लोकतंत्र बचाओ अभियान 01 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया जा रहा है। जिसमें ग्राम पंचायत स्तर तथा नगर निकाय के बार्डो के स्तर पर कांठोस कमेटियों का गठन करने की प्रक्रिया में जनजागरण अभियान के तहत जिसमें ग्राम पंचायत तथा बार्डो में सक्रिय कार्यकर्ताओं की पहचान हो सके और कांठोस संगठन मजबूत किया जा सके राजस्थान में 14426 (चौदह हजार चार सौ छब्बीस) ग्राम पंचायतों में 21 (इक्कीस) लोगों की कार्यकारिणी बनाई जाएगी। और इसी तरह10245 (दस हजार दो सौ पैंतालीस)शहरी बार्डो में भी अध्यक्ष सहित 21 (इक्कीस) पदाधिकारियों की कार्यकारिणी बनाई जाएगी। इसके साथ प्रदेश कांठोस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आ ान पर 27 मार्च 2026 शुक्रवार को प्रात:10 बजे शहीद स्मारक विधानसभा के पास जयपुर में भाजपा सरकार द्वारा पंचायत के चुनाव नहीं कराने, महंगाई बढ़ने और रसोई गैस सिलेंडरों के दामों में वृद्धि करने के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भी जिले के सभी कांठोस कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया है डीग जिले में गठित विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे भी शीघ्र ही अपनी कार्यकारिणी घोषित करावें।

14 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में, समाज ने दिखाई नई राह

लालसोट। गौड़ सनाढ्य ब्राह्मण समाज लालसोट के तत्वावधान में गुरुवार को रामनवमी के पावन अवसर पर पीएम श्री अशोक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में षष्ठम सामूहिक विवाह सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में 14 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परिणय सूत्र में बंधे और सात जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प लिया। यह आयोजन केवल विवाह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज में बढ़ती फिजूलखर्ची, दहेज प्रथा और दिखावे के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक संदेश बनकर उभरा। सामूहिक विवाह के माध्यम से सादगी, समानता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने की प्रेरणा दी गई। समारोह के दौरान सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया इस दौरान समाज के लोगों सहित अन्य उपस्थित जनों ने भी वर-वधुओं को बढ़-चढ़कर उपहार भेंट किए और उनके सुखद दांपत्य जीवन की कामना की। माहौल में अपनत्व और उत्साह साफ झलकता नजर आया। गौड़ सनाढ्य ब्राह्मण समाज लालसोट के सह सचिव गोविन्द शर्मा बगड़ी ने बताया कि सम्मेलन में शामिल प्रत्येक वर-वधु को समाज की ओर से सम्मान स्वरूप भव्य उपहार प्रदान किए गए।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1527
चूंकि प्रार्थी श्री BANWARI LAL SHARMA S/O KANHAYIYA LAL SHARMA SOMNATH NAGAR DAUSA ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति LIC OFFICE KE SAMNE COLLECTRATE CHAURAHA KHAN BHAKRI ROAD DAUSA 303303 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 02.06.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

सम्मन बनाम लापता मुदायला बिनावर कायमी तनकीहात
(आदेश 05 का नियम 20 जा.दी.)
माननीय न्यायाधीश महोदय, न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय, अलवर, राजस्थान
दीवानी वाद संख्या 63../2025
बनाम
1-ब्रषभान शर्मा पुत्र श्री जगन प्रसाद शर्मा वादी
1-सूर्य बैटरी हाउस जरिये तारा भारद्वाज व अन्य प्रतिवादीगण
दावा बाबत दिलाये जाने असल बकाया राशि 93,19,000/- रूपये एवं उस पर ब्याज राशि 22,00,000/- रूपये इस प्रकार कुल राशि 1,15,19,000/-रूपये एव ब्याज वसूली तक व अन्य अनुतोष ।
बनाम- 1. सूर्य बैटरी हाउस जरिये तारा भारद्वाज पत्नी श्री सूर्य कान्त भारद्वाज निवासी मकान नम्बर 83, लाजपत नगर, अलवर राजस्थान, 2. तारा भारद्वाज पत्नी श्री सूर्य कान्त भारद्वाज, उम्र करीब 70 साल, निवासी मकान नम्बर 83, लाजपत नगर, अलवर राजस्थान, 3. अरविन्द लवानिया पुत्र श्री सत्यभान सिंह, उम्र करीब 49 साल, निवासी ए-86, हसन खॉ मेवात नगर, थाना शिवाजी पार्क, अलवर, राजस्थान, 4.स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एस एम ई आर्य नगर, अलवर राजस्थान जरिये शाखा प्रबंधक, 5. मुख्य प्रबंधक (अग्रिम) क्षेत्रीय कार्यालय एन ई बी अलवर राजस्थान
जो कि वादी ने आपके खिलाफ एक दीवानी वाद बावत दिलाये जाने का राशि 93,19,000/- रूपये एवं उस पर ब्याज राशि 22,00,000/-रूपये इस प्रकार कुल राशि 1,15,19,000/- रूपये एव ब्याज वसूली तक व अन्य अनुतोष का प्रस्तुत किया है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र से यह जाहिर हुआ है कि आप उक्त वाद की जानबूझकर तामील नहीं करते है और टाल बाल करते है, लिहाजा यह लापता सम्मन आपके नाम जारी किया जाकर इस तहरीर से दावे जवाबदेही के लिए तारीख 28/3/26 माह सन् 2026 को 10:00 बजे दिन के अदालत में असालतन या मारफत ऐसे वकील के जो मुकदमें से वाखिफ हो व कूछ अमूर पुताल्लिक का जवाब दे सके जिसके हाथ ऐसा शख्स हो जो ऐसे सवालात का जवाब दे सके हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है। और आपको हिदायत दी जाती है कि जुनला दस्तावेजात जो आप अपनी जवाबदेही की ताईद में इस्तदलाल करना चाहते हो, पेश करो।
आगाह रहो कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर हुए तो दावा आपकी गैर हाजारी में सुना फैसला किया जावेगा।
बसख्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज तारीख 12 माह 03 सन् 26 को जारी किया गया।
आज्ञा से-प्रस्तुतकार ग्रेड-।
मोहर
वाणिज्यिक न्यायालय, अलवर (राज.)

शब्दों की महफिल में राष्ट्रीय कवियों ने देशभक्ति और भक्ति रस से बांधा समां

दौसा। महान संत एवं कवि शिरोमणि संत सुंदरदास जी की जयंती की पूर्व संध्या पर बुधवार को भव्य सांस्कृतिक संध्या और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। संत सुंदरदास जन्म भूमि विकास संस्थान एवं पैनोरमा समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में भक्ति, साहित्य और देशभक्ति का त्रिवेणी संगम देखने को मिला। समारोह के संयोजक मनोहर लाल गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व आईएएस आर.सी. मीणा रहे। अध्यक्षता दौसा उप जिला कलेक्टर एवं पैनोरमा समिति की अध्यक्ष संजू मीणा ने की। विशिष्ट अतिथियों में भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला, नगर परिषद सभापति कल्पना जैमन, सिकंदरा प्रधान सुल्तान बैरवा और जिला परिवहन अधिकारी संदीप भारद्वाज सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया सपना सोनी संत सुंदरदास के जीवन पर आधारित गीतों से भाव-विभोर किया। कृष्ण कुमार सैनी ने देशभक्ति की ओजस्वी प्रस्तुति दी। इस दौरान कवि केसरा महुआ, बुद्धि प्रकाश महावर, तेजप्रकाश तेजस्वी, महावीर तंवर, धर्मेंद्र कुमार सैनी, दिनेश तूफानी और नरेंद्र भंडारी ने भी अपनी कविताओं से समां बांधा।

सांस्कृतिक संध्या और सम्मान समारोह : कार्यक्रम में कला सुर संगम और गाता रहे मेरा दिल के कलाकारों (राहुल जायसवाल, अक्षय तिवारी, महेश बालाहेड़ी, सुशील कुमार शर्मा आदि) ने संत सुंदरदास जी के भजनों और देशभक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर संस्थान की ओर से अतिथियों और कलाकारों को संत सुंदरदास अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। आयोजन समिति और गणमान्य जन : समारोह के सफल आयोजन में संस्थान के महामंत्री घनश्याम रावत, रतनलाल डंगायच, हजारी लाल गुप्ता, गजानंद गर्ग (वैश्य महासम्मेलन), डॉ. ओ.पी. बंसल (लायंस क्लब), और स्मारक समिति के अध्यक्ष मुरारीलाल चौकरिया सहित खंडेलवाल वैश्य सेवा समिति के पदाधिकारियों का सक्रिय सहयोग रहा। अंत में सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया गया।

> ■ कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया सपना सोनी संत सुंदरदास के जीवन पर आधारित गीतों से भाव-विभोर किया
> ■ कार्यक्रम में भक्ति, साहित्य और देशभक्ति का त्रिवेणी संगम देखने को मिला

औद्योगिक क्षेत्र का दौरा

कोटपूतली। प्रदेश के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कोटपूतली-बहरोड जिले के रीको नीमराना औद्योगिक क्षेत्र का दौरा कर औद्योगिक ईकाईयों की कार्यव्यवस्था को देखा। इस दौरान उन्होंने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये अनुकूल वातावरण सुदृढ करने के निर्देश दिये, जिनके लिये राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों के माध्यम से प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि उद्योग और निवेश आर्थिक समृद्धि के प्रमुख आधार हैं तथा उद्यमी राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डाइकिन एयर-कंडीशनिंग इंडिया प्रा. लि. का निरीक्षण : मुख्य सचिव ने जापनीज जोन की डाइकिन एयर-कंडीशनिंग इंडिया प्रा. लि. का निरीक्षण कर वहां की आधुनिक तकनीक का अवलोकन किया।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/2000
चूंकि प्रार्थी श्री SHEKHAR VIJAYVERGIYA, C/O GOPAL LAL VIJAYVERGIYA 49-49A, LAXMI NAGAR, TONK ROAD, NEAR SITA BADI, SANGANER, JAIPUR, RAJASTHAN-302011 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास **शेखर विजयवर्गीय फाउंडेशन**, 49-49A, LAXMI NAGAR, TONK ROAD, NEAR SITA BADI, SANGANER, JAIPUR, RAJASTHAN-302011 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन- पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 25/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 03/06/2026
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर- प्रथम

बेटियों की शादी करवाना सबसे बड़ा पुण्य : रामसहाय वर्मा

निवाई। इंद्रा कॉलोनी में स्थित श्याम मंदिर प्रांगण में श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के तत्वावधान में अष्टम नि:शुल्क सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें 10 जोड़े हमसफर बने। सम्मेलन को लेकर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर विवाह स्थल पर हल्दी रस्म एव महिला संगीत का आयोजन किया गया। रामनवमी पर आयोजित सम्मेलन में सुबह 10 बजे से झिलाय रोड स्थित चिंताहरण गणेश मंदिर से विवाह स्थल तक निकासी निकाली गई। इस दौरान दूल्हों ने तोरण की रस्म की।

समिति पदाधिकारियों ने सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया।

> ■ सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में 10 जोड़े बने हमसफर
> ■ आठ हिंदू जोड़ों का विवाह एवं दो मुस्लिम जोड़ों का हुआ निकाह

विवाह स्थल पर आठ हिंदू जोड़ों का विवाह हुआ एवं दो मुस्लिम जोड़ों का निकाह सम्पन्न हुआ। हिंदू जोड़ों का विवाह आचार्य पंडित मोहनलाल शास्त्री खण्देवत ने करवाया एवं निकाह हाफिज मोहम्मद सलीम नदीम ने पढ़वाया। विवाह सम्मेलन में सभी दस जोड़ों को उपहार स्वरूप कूलर, बेड, सोफे व पंखा सहित सभी घरेलू सामान दिए गए। विधायक रामसहाय वर्मा ने कहा कि विवाह सम्मेलनों के आयोजन से धन व समय की बचत होती है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शादी करवाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों की पहल करने वाले कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर समाज के लोगों को एक जाजम पर बैठाने का कार्य किया है।

संस्थान के अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने कहा कि विवाह सम्मेलन के आयोजन से समाज में एकता का संदेश जाता है। उन्होंने बताया कि बाबा श्याम के आशीर्वाद से सम्मेलन निरंतर होते रहेंगे। सम्मेलन में सर्व समाज की बेटियों का नि:शुल्क विवाह करवाया जाता है।

संस्था समय समय पर कई सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन करती रहती है। समारोह में विधायक रामसहाय वर्मा, पूर्व विधायक कमल बैरवा, पुलिस उपाधीक्षक रवि प्रकाश शर्मा, तहसीलदार नरेश गुर्जर, पार्षद मास्टर मदन वर्मा, ओमप्रकाश गुप्ता, परसराम कुमावत, नितिन छाबडा, रवि अग्रवाल, विनोद शर्मा, गिर्राज पारीक, राजू मालावत, घासी अठावाल, अविनाश पारीक, आनंद पारीक, जयनारायण कुमावत, वंश प्रदीप पारीक व विनोद कुमावत सहित कई पार्षद जनप्रतिनिधि एवं संस्थान के सदस्यों ने वर वधुओं को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
आम सूचना
क्रमांक:F-JDA/Zone 11/2026/D-301
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 268874 दिनांक 26/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) I Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Shailendra Mishra S/o Dr.S.D. Mishra	श्री दीपक गुप्ता पुत्र श्री दर्शनलाल गुप्ता	A44	413.30 SQ. METER	Private	JAIPUR GREENS	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) I Original Lease Deed (Patta)	पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर एक से अधिकर बार विक्रय किये जाने पर

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) I Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नही करने की दशा मे उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर

कार्यालय आवासीय अभियंता राजस्थान आवासन मण्डल
2A-1 एस.टी.सी. योजना भरतपुर
(E-mail ID - rebharatpur.rhb@rajasthan.gov.in)(Ph. No.-05644-223672)
क्रमांक : 786 दिनांक : 19.03.2026
आवश्यक सूचना
हर आम एवं खास को इस आवास संख्या 1/25 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बाडी रोड आवासीय योजना धौलपुर की सामान्य पंजीकरण योजना 1982 में हित रखने वाले व्यक्ति विशेष को यह सूचित किया जाता है कि मूल आवंटी श्री रामनिवास अग्रवाल पुत्र श्री प्रभुलाल अग्रवाल ने राशि 500/- रूपये जमा करवाकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) के आवास हेतु पंजीकरण करवाया गया था। जिन्हें आवंटन पत्र क्र. 2597 दिनांक 08.01.1988 को आवास संख्या 1/25 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बाडी रोड आवासीय योजना धौलपुर में आवंटित हुआ। उक्त आवास का कब्जा दिनांक 23.02.1988 को प्राप्त कर लिया गया। श्री रामनिवास अग्रवाल पुत्र श्री प्रभुलाल अग्रवाल, जाति वैश्य निवासी सरानीखेडा, तह० व जिला धौलपुर द्वारा उक्त आवास संख्या 1/25 को जरिये इकरारनामा, मुख्त्यारआम एवं हलफनामा के दिनांक 09.07.1993 को नोटरी पब्लिक, धौलपुर से तस्दीक कराकर श्रीमती अलका मंगल पत्नी श्री प्रेमचंद मंगल, जाति वैश्य, निवासी बजरिया, धौलपुर को विक्रय कर दिया गया।
उक्त आवास संख्या 1/25 का पुन: बेचान जरिये इकरारनामा, मुख्त्यारआम एवं हलफनामा के दिनांक 15.05.1997 को नोटरी पब्लिक, धौलपुर से तस्दीक कराकर श्री कमल सिंह पुत्र श्री अतर सिंह, जाति जाट, निवासी धौलपुर को कर दिया गया। तत्पश्चात श्री कमल सिंह पुत्र श्री अतर सिंह द्वारा उक्त आवास का पुन: बेचान जरिये इकरारनामा, मुख्त्यारआम एवं हलफनामा के दिनांक 21.06.2011 को नोटरी पब्लिक, धौलपुर से तस्दीक कराकर श्री मोतीलाल वर्मा पुत्र श्री किशन लाल, जाति जाटव, निवासी धौलपुर को कर दिया गया।
श्री प्रज्ञादीप वर्मा पुत्र स्व० श्री मोतीलाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रपत्र एवं स्व० मोतीलाल वर्मा की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके पिता का स्वर्गवास दिनांक 30.05.2019 को हो जाने के कारण उपरोक्त आवंटित आवास संख्या 1/25 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बाडी रोड आवासीय योजना धौलपुर का हस्तांतरण उनके नाम किया जाये।
अत: जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 1/25 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बाडी रोड आवासीय योजना धौलपुर के संबंध में पिता, पुत्र, पुत्रियाँ, भाई व अन्य किसी रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खाण्ड-भरतपुर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा, उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण श्री प्रज्ञादीप वर्मा पुत्र स्व० श्री मोतीलाल वर्मा, आवासीय योजना बाडी रोड हाउसिंग बोर्ड धौलपुर के पक्ष में करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।
आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड-भरतपुर